



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062025-263807
CG-DL-E-14062025-263807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2554]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2025/ज्येष्ठ 23, 1947

No. 2554]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2025/JYAISTHA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2025

का.आ. 2618(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ क की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८ डी जो कि जंक्शन एन.एच. ४८ (पुराना एन एच-४) से प्रारंभ होकर तळेगाव-चाकण-शिक्रापुर-न्हावरा मार्ग तक कि.मी. ५४/०० से कि.मी. ८२/१२० (शिक्रापुर-न्हावरा खंड) डिजाईन लांबाई २८/१२० कि.मी. तक के निर्माण (पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण, दो लेन का बनाने आदि), का निर्माण एवं पुनःसंरक्षण अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. १७ जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे, महाराष्ट्र को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३३ की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८ डी जो कि जंक्शन एन.एच. ४८ (पुराना एन एच-४) से प्रारंभ होकर तळेगाव-चाकण-शिक्रापुर-न्हावरा मार्ग तक कि.मी. ५४/०० से कि.मी. ८२/१२० (शिक्रापुर- न्हावरा खंड) डिजाईन लांबाई २८/१२० कि.मी लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शिरूर					
गांव का नाम: न्हावरा					
1	1133 Part	निजी	असिंचित	0.082 (हेक्टेयर)	0.082
2	12 Part	सरकारी	असिंचित	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
3	3 Part	निजी	असिंचित	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
4	883 Part	निजी	असिंचित	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
Total					0.259

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/54/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi ,the 13th June,2025

S.O. 2618(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for **building (widening/two lane with paved shoulder etc.,) maintenance,management and operation of Road of NH-48 (Old NH-4) near Talegaon-Chakan-Shikrapur-Nhavra Section of NH-548 Km 54/00 to 82/120 (Shikrapur to Nhavra Section) Design Length-28.120 Km configuration in District Pune in the state of Maharashtra**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Land Acquisition No.Officer 17,Collector Office Pune in the State of Maharashtra**, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the Land Acquisition on Road of NH-48 (Old NH-4) near Talegaon-Chakan-Shikrapur-Nhavra Section of NH-548 Km 54/00 to 82/120 Shikrapur to Nhavra Section) Design Length-28.120 Km in District Pune in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shirur					
Village: Nhavara					
1	1133 Part	Private	Unirrigated	0.082 (Hectare)	0.082
2	12 Part	Government	Unirrigated	0.003 (Hectare)	0.003
3	3 Part	Private	Unirrigated	0.004 (Hectare)	0.004
4	883 Part	Private	Unirrigated	0.17 (Hectare)	0.17
Total					0.259

[F. N. RO/MUM/NH(O)/2023-24/54/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director